



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265039
CG-DL-E-28072025-265039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947

No. 458]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 501(अ).— गैस सिलेंडर नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 21 अप्रैल, 2025 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 241(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 21 अप्रैल, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अवधि के दौरान जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (1) में,
(क) खंड (viii) में, “आधानों को फिट किए गए वाल्व के संबंध में” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक, अंतःस्थापित किए जाएंगे:-
“आईएस 18608 या आईएसओ 21011 के अनुरूप या”;
(ख) खंड (ix) में “मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित” शब्दों के पश्चात्, “सीजीए वी-1 या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 19 के उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(5) गैस सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर के विनिर्माण के लिए उपयोग की जानेवाली सामग्री आईएस/आईएसओ 11114-1 और आईएस/ आईएसओ 11114-2 मानकों के अनुरूप होगी और अन्य सभी गैसों के लिए उपयोग किए जानेवाले सिलेंडर, वाल्व और रेगुलेटर, मुख्य नियंत्रक के अनुमोदन से उपयुक्त धात्विक और गैर-धात्विक सामग्री के होंगे।”
4. उक्त नियमों में, नियम 21 के उपनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
(8) “हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली की छत सीजीएपीएस-46 मानकों के अनुरूप होगी”।
5. उक्त नियमों के, नियम 35 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(5) हाइड्रोजन सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर निम्नलिखित परीक्षणों के अध्यक्षीन होंगे” अर्थात्:-
(क) आईएसओ 17081: विद्युत-रासायनिक तकनीक द्वारा धातुओं में हाइड्रोजन पारगमन के मापन और हाइड्रोजन अवशोषण और परिवहन के अवधारण की पद्धति;
(ख) आईएसओ 10587: धात्विक और अन्य अकार्बनिक कोटिंग्स - बाह्य रूप से श्रेडेड धात्विक-कोटेड और अनकोटेड दोनों प्रकार की वस्तुओं और रॉड्स के अवशिष्ट भंगुरता के लिए परीक्षण - इंकलाइंड वेज पद्धति;
(ग) आईएसओ 16573: इस्पात - उच्च क्षमता वाले इस्पात के हाइड्रोजन भंगुरता प्रतिरोध के मूल्यांकन के लिए मापन पद्धति भाग 1: स्थिर भार परीक्षण;
(घ) आईएसओ 15330: फास्सर्स - हाइड्रोजन भंगुरता का पता लगाने के लिए प्री-लोडिंग परीक्षण - समानांतर बेयरिंग सतह पद्धति”।
6. उक्त नियमों की, अनुसूची 5 में, प्ररूप ज की शर्तों में, क्रम संख्यांक 11 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(11क) हाइड्रोजन से चालित यान की ईंधन प्रणाली, यथास्थिति, आईएसओ 21266-1 या आईएसओ 21266-2, के सुसंगत उपबंधों या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य कोड के अनुरूप होगी।”

[फा. सं.पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग (1)]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए थे,

1. सा.का.नि. 189 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2018;
2. सा.का.नि. 231 (अ), तारीख 15 मार्च 2018;
3. सा.का.नि. 44 (अ), तारीख 23 जनवरी, 2019;
4. सा.का.नि. 44 (अ), तारीख 20 जनवरी, 2022;
5. सा.का.नि. 225 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2025; और
6. सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 16 जून, 2025।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2025

G.S.R. 501(E).— Whereas, the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016, were published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R.241(E), dated 15th April, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 21st April, 2025, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas, the copy of the said Gazette notification was made available to the public on the 21st April, 2025;

And whereas, no objection or suggestions received from the public within the said period;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016, namely: -

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Gas Cylinders (Third Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in sub-rule (I), —**

- (a) in clause (viii), after the word “container”, the words, letters and figures “conforming to IS 18608 or ISO 21011 or” shall be inserted;
- (b) in clause (ix) after the words “conforming to”, the letters, figure and word “CGA V-1 or”, shall be inserted.

3. **In the said rules, in rule 19, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -**

“(5) The materials used for manufacturing gas cylinders, valves and LPG regulators shall be conforming to IS/ISO 11114-1 and IS/ISO 11114-2 standards and cylinders, valves and regulators used for all other gases shall have suitable metallic and non-metallic materials, with approval of Chief Controller.”.

4. **In the said rules, in rule 21, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-**

“(8) The roof of hydrogen storage system shall conform to CGAPS-46 standard.”.

5. **In the said rules, in rule 35, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -**

“(5) The cylinder used for hydrogen service shall be subjected to following tests, namely: -

- (a) ISO 17081: Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique;
- (b) ISO 10587: Metallic and other inorganic coatings — Test for residual embrittlement in both metallic-coated and uncoated externally-threaded articles and rods —Inclined wedge method;
- (c) ISO 16573: Steel — Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels Part1: Constant load test;
- (d) ISO 15330: Fasteners — Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement—Parallel bearing surface method.”.

6. In the said rules, in Schedule V, in FORM H, in CONDITIONS, after serial number 11, the following serial number shall be inserted namely: -

“(11a) The fuel system of the vehicle operating on hydrogen shall conform to the relevant provisions of ISO 21266-1 or ISO 21266-2, as the case may be, or any other code accepted by the Chief Controller.”

[F. No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended *vide* notification number,

1. G.S.R.189 (E) dated the 27th February, 2018;
2. G.S.R.231 (E) dated the 15th March, 2018;
3. G.S.R.44 (E), dated the 23rd January, 2019;
4. G.S.R.44 (E), dated the 20th January, 2022;
5. G.S.R.225 (E), dated 11th April, 2025; and
6. G.S.R.386 (E), dated the 16th June, 2025.